

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक
केस का प्रकार TA Misc. Case No. 01/2019-20

आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ												
3/4/19	आवेदक/आवेदिका डोलो पुरती, पिता/पति स्व० पौधा पुरती, जाति- हो (अ.ज.जा.), ग्राम- पोटका (सोका साई), थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा- पोटका, थाना नं०- 69, थाना- चक्रधरपुर, खाता नं०- 210, प्लॉट नं०- 631, रकवा- 0.11 ए०, क्रेता सिरित डोडराय, पिता/पति- अन्थोनी डोडराय, जाति- मुण्डा (अ.ज.जा.), ग्राम- दीघा रायडीह, पो०- जराईकेला, थाना- मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास जमीन बिक्री/भू-हस्तांतरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है जमीन का विवरण है। <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना सं०</th> <th>थाना</th> <th>खाता सं०</th> <th>प्लॉट सं०</th> <th>रकवा एकड़ में</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पोटका</td> <td>69</td> <td>चक्रधरपुर</td> <td>210</td> <td>631</td> <td>0.11 ए०</td> </tr> </tbody> </table> आवेदक को ईलाज हेतु 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपए की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का रकवा 0.11 ए० को कुल कीमत 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपए मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत बिक्री करना चाहते हैं। आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी चक्रधरपुर से अपना जांच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित दिनांक 13.4.19 तक मांग करें। अभिलेख दिनांक 20.4.19 को उपस्थापित करें।	मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा एकड़ में	पोटका	69	चक्रधरपुर	210	631	0.11 ए०	
मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा एकड़ में									
पोटका	69	चक्रधरपुर	210	631	0.11 ए०									

लेखापित एवं संशोधित

Bau
3.4.19

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

Bau
3.4.19

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

की
के
पी
य